न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्याः—4/2019

दायर दिनांकः—22.08.2019

पीठासीन अधिकारीः— दुर्गा शंकर मीना, आर.ए.एस.

विकास अधिकारी, पंचायत समिति अरनोद जिला प्रतापगढ़ (राज.)

निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती सुमित्रा बाई पत्नि बाबुलाल मालवीय निवासी दलोट
2. सरपंच ग्राम पंचायत दलोट
3. सचिव, ग्राम पंचायत दलोट
4. प्रभारी अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दलोट
5. श्री रतनलाल पिता नाथू पाटीदार निवासी दलोट

विपक्षीगण

निगरानी विरूद्व पंचायत संकल्प संख्या 12 दिनांक 29.09.2011 द्वारा जारी पट्टा क्रमांक 5 अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियिम 1996

निर्णय 18.07.2023

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी याचिका निम्न प्रकार प्रस्तुत की हैः—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार प्रस्तुत है कि ग्राम पंचायत दलोट ने अपने संकल्प संख्या 12 दिनांक 29.09.2011 को विपक्षी क्रमांक 1 को एक आबादी भूखण्ड मौजा दलोट की आराजी नम्बर 16[illegible]9 गुणा 14 बराबर 266 वर्गफीट का 184 रूपया प्रतिवर्गफीट की दर से कुल रू. 48944/— अक्षरे अडतालिस हजार नो सो चवालिस रू में आवंटन किया गया। उक्त पट्टे का पंजीयन दिनांक 11.07.2012 को जरिये दस्तावेज क्रमांक 2012002881 को उप पंजीयक अरनोद में पंजीकृत कराया गया। ग्राम पंचायत दलोट ने उक्त आराजी नम्बर 1648 में जो आबादी का पट्टा जारी किया गया है वह कानूनन गलत है क्योंकि 21/09/2011

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.24 17:24:54 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

को जरिये संकल्प क्रमांक 03 से चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दलोट को जरिये पट्टा क्रमांक 58 से 218 फीट उत्तर की ओर, 190 फीट दक्षिण की ओर, 588.8 फीट पूरब की ओर, 770 फीट पश्चिम की ओर भूमि आवंटन की गई तब से ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दलोट का उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है लेकिन पंचायत द्वारा उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की भूमि का आवंटन कर दिया , जो कतई गलत होकर निरस्त होने योग्य है। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी विरूद्व विपक्षीगण प्रस्तुत की जा रही हैः–

1. यह है कि उक्त पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा नियम व कानून के विपरीत जारी किये जाने से निरस्त होने योग्य है।
2. यह कि आबादी भूमि में भूखण्ड आवंटित करने की प्रक्रिया राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1996 के नियम 140 से 162 में उल्लेखित है जिसके अनुसार जो कोई व्यक्ति पंचायत से आबादी भूमि खरीदना चाहता है तो उसको खरीदी जाने वाली प्रस्तावित भूमि की जानकारी कराते हुए लिखित रूप से एक आवेदन नियम 145 के तहत देगा। ग्राम पंचायत नियम 146 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र इन्द्राज करने के बाद पत्रावली खोलती है तत्पश्चात आवेदित भूमि का मौका निरीक्षण करने हेतु तीन पंचो की कमेटी का गठन किया जाता है जो उप नियम 3 के अन्तर्गत वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करते है। इसके बाद ग्राम पंचायत की बैठक में नियम 147 के अन्तर्गत यह यह प्रस्ताव लिया जाता है कि आवेदित भूमि का बेचान किया जाना है अथवा नहीं। यदि बेचान का संकल्प लिया जाता है तो नियम 148 में 1 महिने का नोटिस प्रकाशित किया जाता है और आपत्तियां आमंत्रित की जाती है। नोटिस दो प्रतियों में तैयार किया जाकर एक प्रति बेची जाने वाली भूमि पर चस्पा की जाती है और दूसरी प्रति दो प्रति व्यक्तियों के हस्ताक्षर के साथ चस्पा करने की तस्दीक के रूप में ग्राम पंचायत को लौटायी जाती है। एक महिने के बाद नियम 149 में कार्यवाही करते हुए यदि कोई आपत्तियां आती है तो सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर निपटारा किया जाता है। नियम 154 में नीलामी करवाये जाने तथा नियम 156 में आपसी बातचीत पश्चात आबादी भूमि के हस्तान्तरण का प्रावधान है

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.24 17:24:54 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

लेकिन उक्त प्रक्रिया का पालन किया गया हो ऐसा उक्त जारी पट्टे में कोई उल्लेख नहीं है ओर पंचायत का प्रस्ताव रिकार्ड भी पंचायत से गायब होने से तत्कालिन सचिवों के खिलाफ दिनांक 20.08.2019 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 170/19 थाना अरनोद में तत्कालिन सचिव के खिलाफ दर्ज करवायी गई है जिसकी प्रति इस निगरानी के साथ संलग्न है।

3. यह कि उक्त आबादी पट्टा 184 रूपया प्रति वर्गफीट की दर से राशि लेकर विपक्षी क्रमांक 1 के पक्ष में जारी कर दिया गया है जबकि पंचायत को इस प्रकार राशि लेकर पट्टा जारी करने का कोई अधिकारी नहीं है इसलिए जो पट्टा जारी किया गया है वो कानून व नियम विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
4. यह कि विकास अधिकारी की जानकारी में उक्त प्रकरण दिनांक 20.08.2019 को आने पर यह निगरानी अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। इस हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः निगरानी पेशकर निवेदन है कि निगरानी प्रार्थी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत दलोट द्वारा दिनांक 29.09.2011 को संकल्प संख्या 12 से पट्टा क्रमांक 5 जो आवंटित किया गया है उसे निरस्त किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 2 से 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली वास्त जवाब विपक्षी क्रमांक 1 हेतु नियत की गई। दिनांक 31.10.2019 को विपक्षी क्रमांक 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। दिनांक 20.11.2019 को आदेश आर्डर 01 नियम 10 धारा 151 जाप्ता दिवानी का प्रस्तुत किया। अधिवक्ता निगरानी द्वारा दिनांक 06.02.2020 को प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। दिनांक 19.08.2020 को प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश 31.08.2020 नियत की गई। प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली में अधिवक्ता निगरानी को [illegible] टाइटल प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। अधिवक्ता द्वारा दिनांक [illegible]2020 को संशोधित टाइटल प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी को उपलब्ध कराई गई। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा विपक्षी क्रमांक 5 व 6 की तरफ से जवाब प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता विपक्षी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.24 17:24:54 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

द्वारा दिनांक 01.02.2021 को माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अरनोद के आदेश दिनांक 03.12.2019 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा दिनांक 14.09.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) धारा 151 जाप्ता दिवानी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में पीएचसी दलोट एवं प्रार्थी के मध्य राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से दिनांक 09.03.2019 को आपसी राजीनामा हुआ है।

प्रकरण में अधिवक्ता निगरानी को प्रार्थना पत्र के जवाब एवं बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब व बहस प्रस्तुत नहीं की गई। अतः प्रकरण में निगरानी अधिवक्ता की जवाब व बहस बन्द कर प्रकरण वास्ते निगरानी बहस हेतु दिनांक 17.07.2022 नियत की गई। उक्त अवधि के उपरान्त भी अधिवक्ता निगरानी द्वारा जवाब व बहस नहीं की गई। अतः प्रकरण में माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय तक कार्यवाही स्थगित रखे जाने हेतु आदेशित किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी द्वारा दिनांक 01.05.2023 को पुनः पर्याप्त अवसर दिये जाकर पत्रावली को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र की प्रति प्रार्थी को दी जाकर पत्रावली पुनः नम्बर पर ली गई। प्रार्थी को प्रकरण में बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थी अनुपस्थित रहने से प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी की बहस सुनी गई।

चूंकि प्रकरण वर्तमान में माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन होकर प्रकरण से सम्बन्धित पट्टे का भी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किया गया है। विक्रय पत्र खारीज करने का अधिकार क्षेत्र इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारीज की जाकर प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में पैरवी कर दादरसी प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.24 17:24:54 IST
Reason: SelfAttested

(दुर्गा शंकर मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)